न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अखिलेश कुमार पिपल (आर0ए0एस0)

अपील संख्या :– 38/23(225)

आरसीएमएस संख्या – 2023/94

उनवान

1. उमाकान्त
2. पवन
3. रजनीकान्त } पुत्र बृजमोहन
4. राजेन्द्र
5. हरीकान्त
6. गिरधारी पुत्र गिर्राज प्रसाद
7. कुमारी गगन पुत्री उमाकान्त
8. रामेश्वर पुत्र ओमप्रकाश

} जाति ब्राहम्ण निवासी गोपालगढ तहसील व जिला भरतपुर।

.....अपीलान्ट

बनाम

1. लक्ष्मीकान्त पुत्र हीरालाल जाति ब्राहम्ण निवासी गोपालगढ तहसील व जिला भरतपुर।

..... असल रैस्पोडेण्ट

2. रमाकान्त पुत्र बृजमोहन
3. सुनीता पुत्री ओमप्रकाश

} जाति ब्राहम्ण निवासी गोपालगढ तहसील व जिला भरतपुर।

.....तरतीवी रैस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भरतपुर दिनांक 17.05.2022 प्रकरण संख्या 93/22 उनवान लक्ष्मीकान्त बनाम उमाकान्त।

उपस्थित :–

1. श्री महाराज सिंह डागुर अभिभाषक अपीलाण्ट।
2. श्री प्रमोद कुमार उपमन एवं कृष्ण कुमार सिंघल अभिभाषक रैस्पो0।

निर्णय **दिनांक :–24.01.2024**

1. यह अपील इस न्यायालय में उपखण्ड अधिकारी, भरतपुर के आदेश दिनांक 17.05.2022 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी/असल रैस्पो0 ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध अप्रार्थी/अपीलाण्ट इस आशय का पेश किया कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 03 में अंकित विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 1125, 1126, 1121, 1122, 1123, 1124 पर बन्दोबस्त विभाग ने सायल के पिता के अथवा सायल के इन्द्राज पूर्णतः समाप्त कर दिये अर्थात कोई इन्द्राज नहीं किये तथा आराजी खसरा नम्बर 1119, 1120, 1973 पर 1/4 हिस्सा के इन्द्राज कर दिये जबकि इन्द्राज 1/8 हिस्सा में से 1/2 हिस्से

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

पर दर्ज होने चाहिये थे। इसलिये हाल आराजी पर वर्तमान इन्द्राज खिलाफ कानून व मौका दर्ज किये गये है। जिनको कलमजन किये जाकर आराजी पर सायल को 1/8 हिस्से में से 1/2 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने का अधिकारी है। उक्त गलत इन्द्राजो के आधार पर अप्रार्थीगण, प्रार्थीगण को विवादित आराजी से बेदखल करने पर आमदा हैं। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अस्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई, अपीलाधीन आदेश से, अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कर दिया। जिससे व्यथित होकर अप्रार्थी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गयी। रैस्पो0 व तहत पत्रावली को तलब किया गया। दौराने बहस असल रैस्पो0 के अभिभाषक ने बहस हेतु समय की मॉग की। तत्पश्चात् उन्हें बहस का समय दिया जाकर, बहस अपीलाण्ट एवं तरतीवी रैस्पो0 सुनी गयी।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपील में अंकित तथ्यो को दौहराते हुए बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि अनुरूप नहीं है। खसरा नम्बर 1119, 1120, 1973 में रैस्पो0 का 1/4 हिस्सा गलत दर्ज हो रहा है। अपीलाण्ट विवादित आराजी में 3/4 का खातेदार दर्ज हैं एवं काबिज काश्त है। खसरा नम्बर 1973 में रैस्पो0 का कोई नाम कभी नहीं रहा है। रैस्पो0 ने अपनी सम्पूर्ण आराजी का बेचान कर दिया गया है। विवादित आराजी क्रेतागणो के नाम आने से पूर्व ही, रैस्पो0 ने अपने गलत इन्द्राजो का फायदा उठाते हुये, विवादित आराजी बाबत् स्थगन आदेश पारित करा लिया। जबकि वह सम्पूर्ण आराजी का विक्रय कर चुका है। विवादित आराजी बाबत् पूर्व में बॅटवारा भी हो चुका है। प्रमाणित नकल नहीं मिल पायी है। आदेश दिनांक 13.09.1985 उनवानी चंदन बनाम बृजमोहन के निर्णय की फोटो प्रति प्रस्तुत की जा रही है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को अपास्त किये जाने का निवेदन किया। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर आरबीजे 2022 पेज 25 का उद्धरण प्रस्तुत किया।

4. विद्वान अभिभाषक तरतीवी रैस्पो0 ने अपनी बहस में कथन प्रस्तुत किये खसरा नम्बर 1121, 1122, 1123, 1124 पर कभी भी लक्ष्मीकान्त असल रैस्पो0 के कोई खातेदारी में नहीं रहे एवं ना ही उनका उक्त खसरा नम्बरो से कोई लेना देना है। अधीनस्थ न्यायालय में उक्त खसरा नम्बरो को साविक खसरा नम्बर 1172 से बनना बताते हैं। किन्तु मिलान क्षेत्रफल के साथ कोई पुरानी जमाबन्दी अथवा दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये। साविक खसरा नम्बर 1172 केवल 3 बीघा का बताया मात्र एक दस्तावेज से, शेष रकवा के अपीलाण्ट संख्या 8 व तरतीवी रैस्पो0 संख्या 3 मालिक थे। बॅटवारे के पूर्व दावे में नाम आये। विवादित आराजी पर रैस्पो0 का कब्जा काश्त ही नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश अन्तरिम आदेश है, जो अपीलाण्ट व तरतीवी रैस्पो0 को बना सुने पारित किया गया है एंव काबिले निरस्तनीय है।

5. असल रैस्पो0 के विद्वान अभिभाषक ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र 41 नियम 27 के संलग्न दस्तावेज प्रस्तुत करते हुये, तर्क दिये कि अपीलाण्ट ने अंतरिम आदेश की अपील प्रस्तुत की गयी है, जो पोषणीय नहीं है। यदि उन्हें अपीलाधीन आदेश से कोई उज्र था तो उन्हें अधीनस्थ न्यायालय मे ही आपत्ति दर्ज करवानी चाहिये थी। प्रार्थना पत्र 41 नियम 27 के

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

साथ प्रस्तुत दस्तावेज अपील के निर्णय में सहायक हैं। उक्त दस्तावेजो से विवादित आराजी पैतृिक आराजी प्रमाणित है एवं दौराने वाद विवादित आराजी की सुरक्षा हेतु स्थगन उचित ही है। यदि अपीलाधीन आदेश को निरस्त किया जाता है कि अपीलाण्ट विवादित आराजी को रहन, वय, मुंतकिल करेंगें एवं प्रकरण में फिर से नये पक्षकार खडे हो जावेंगें। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर आरआरटी 2018(2) पेज 1140, 2018–19(सप्ली0) पेज 531, 2016–17(सप्ली0) पेज 285, 2017(1) पेज 491 का उद्धरण प्रस्तुत किया।

6. हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में दिये गये सजरा एवं प्रार्थना पत्र 41 नियम 27 के साथ प्रस्तुत दस्तावेज किसान पास बुक में दर्ज साविक खसरा नम्बर 1172 मौहर सिंह पुत्र दुर्गाप्रसाद के नाम दर्ज होने से विवादित आराजी प्रथम दृष्टया पैतृिक आराजी होना सिद्ध है। अतः प्रथम दृष्टया प्रकरण अपीलाण्ट के पक्ष में ना होकर रैस्पो0 के पक्ष में अधिक पुष्ट होता है। अपीलाण्ट द्वारा दौराने बहस उठायी गयी आपत्तियों एवं पक्षकारो के मध्य स्वत्व का निर्धारण, विस्तृत साक्ष्यों की विवेचना के आधार पर मूल वाद में तय होगा। फिलहाल प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम तय करते समय हम पाते हैं कि; दौराने वाद विवादित भूमि को सुरक्षित रखने एवं वादकरण की जटिलता व बहुलता से बचने के लिए विवादित भूमि के रिकार्ड की यथास्थिति पक्षकारान द्वारा रखना निरापद है। उपरोक्त विवेचनानुसार वाद के निस्तारण तक सम्पत्ति का संरक्षण करना न्यायसंगत है। अतः हम अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश में कोई त्रुटि नहीं पाते हैं। लिहाजा अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य समझते हैं।

7. अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भरतपुर का आदेश दिनांक 17.05.2022 यथावत रखें जाते हैं। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावे। बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

8. निर्णय आज दिनांक 24.01.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

24-01-2024
(अखिलेश कुमार पिपल)
आर.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर